

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 27/2020

निर्णय दिनांक -16.06.2020

1. श्री भैरूलाल पिता प्रभुलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. श्री लोभचन्द पिताप्रभुलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
3. गीता पुत्रीप्रभुलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. श्यामु बाई पुत्रीप्रभुलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. श्री केशुराम उर्फ केशुलाल पिता मोंगीलाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

-प्रार्थीगण

//बनाम//

1. श्री रामसिंह पिता वसराज जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. श्री श्रीराम पिता गोकुल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़राज0।
3. श्री चुन्नीलाल पिता कजोड जी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. श्री डालचन्द पिता नाथुलाल जी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. श्रीलोभचन्द पिता श्रीराम जी जाति जाट निवासी बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
6. श्री लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह जी जाति राजपुत निवासी गुढाखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
7. कमला पुत्री प्रभुलाल जी जाति भील निवासी किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट  
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 37 की आराजी नं0 112 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 126 रकबा 0.9600 हैक्टेयर आराजी नं0 127 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल कीता 3 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है।



(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा

विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा किशनपुरा पटवार हल्का गुढाखेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 37 की आराजी नं0 112 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 126 रकबा 0.9600 हेक्टेयर आराजी नं0 127 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल कीता 3 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 16.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

16.06.20  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा



Scanned with Cam

